भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा 863**

(जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**किसानों के ऋणों पर ब्‍याज को माफ किया जाना**

863. श्री के. सी. त्‍यागी:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनेक राज्‍यों में किसानों के ऋणों पर ब्‍याज को माफ कर दिया है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या यह भी सच है कि किसानों द्वारा कुछ राज्‍यों में बैंकों से लिया गया ऋण/ब्‍याज अभी तक माफ नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं; और

(ग) किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण को माफ करने का निर्णय कब तक लिया जाएगा?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

**(क) और (ख):** भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्‍ल्‍यूडीआरएस), 2008 लागू की गई थी। तदुपरान्‍त, भारत सरकार ने किसानों द्वारा लिए गए ऋणों अथवा ब्‍याज की माफी के लिए बैंकों को कोई अनुदेश जारी नहीं किया है। तथापि, सरकार किसानों को 7% प्रति वर्ष की ब्‍याज दर 3 लाख रुपए तक के अल्‍पावधि फसल ऋणों के लिए ब्‍याज सहायता प्रदान करती है तथा तत्‍परता से पुनर्भुगतान के मामले में वह घटकर 4% हो जाती है।

**(ग):** कृषि ऋणों को माफ करने का कोई भी प्रस्‍ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*